प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक -02.05.2024**

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 306/24 धारा 302/307 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 03 अवैध तमंचे .315 बोर मय 06 जिन्दा व 07 खोखा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर नं0 UP-17N-3110 व 02 मोबाईल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.05.2024 को थाना बडौत पर वादी दीपांशु पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.निखिल उर्फ कल्लू पुत्र संजीव उर्फ संजीले, 2.शोएब पुत्र दिलशाद, 3.देवा उर्फ देवेश पुत्र परविन्दर निवासीगण ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने एक राय होकर उसके व उसके भाई धीरज उर्फ छोला पुत्र तेजपाल के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किये, जिसमें उसके भाई धीरज उर्फ छोला की गोली लगने से मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 306/24 धारा 302/307 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया एवं विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 306/24 धारा 302/307 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 03 अवैध तमंचे .315 बोर मय 06 जिन्दा व 07 खोखा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर नं0 UP-17N-3110 व 02 मोबाईल फोन बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2022 में मृतक धीरज उर्फ छोला ने निखिल उर्फ कल्लू के भाई सन्नी की हत्या कर दी थी, इसी कारण निखिल उर्फ कल्लू ने अपने भाई सन्नी की हत्या का बदला लेने के लिये 1-शोएब पुत्र दिलशाद, 2-देवा उर्फ देवेश पुत्र परविन्दर, 3-सौरभ पुत्र तेजवीर निवासीगण ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत व 4-सागर निवासी ग्राम लौहड्डा थाना बड़ौत के साथ मिलकर धीरज उर्फ छोला की हत्या करने की योजना बनाई। कल दिनांक 01.05.2024 को शोएब मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर UP-17N-3110 से धीरज उर्फ छोला को प्राथमिक विद्यालय पर लाया था, जहां पर निखिल उर्फ कल्लू ,देवा उर्फ देवेश, सौरभ व सागर ने अपने हाथों में लिये तमंचों से उस पर गोलियां बरसा दी थी, जिससे मौके पर ही धीरज उर्फ छोला की मृत्यु हो गयी और हम सभी लोग वहाँ से भाग गये थे।

बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल 03 अवैध तमंचे .315 बोर मय 06 जिन्दा व 07 खोखा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर नं0 UP-17N-3110
- 02 मोबाईल फोन।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-निखिल उर्फ कल्लू पुत्र संजीव उर्फ संजीले निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।
2-शोएब पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।
3-देवा उर्फ देवेश पुत्र परविन्दर निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
2-व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
5-है0का0 468 कुलदीप सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
6-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
7-का0 402 विशाल पुनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत।
8-का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत जनपद बागपत।
9-का0 712 विनय कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
10-का0 1016 रोहित राठौर थाना बडौत जनपद बागपत।
11-का0 948 पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 02.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 92/24 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 362/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक कटरा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनाँक 01.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री विनोद पुत्र श्री मुन्नी लाल निवासी मौहल्ला गायत्रीपुरम कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी भैंस के कटरे को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 362/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

2-दिनाँक 07.02.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री भानी सिंह निवासी ग्राम क्यामपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घेर से उसकी एक भैंस चोरी कर ली गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 92/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 92/24 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 362/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक कटरा बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हासिम पुत्र ताहिर निवासी ग्राम नगला रियावली थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक कटरा। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 362/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 214 उमेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-का0 369 विशाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 02.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-वकील पुत्र शकील निवासी मौहल्ला देशराज कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-जाकिर पुत्र अनवर निवासी मौहल्ला देशराज कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 267 देवेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-का0 982 नीरज थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।